प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरपाल सिंह पुत्र श्री बृजमोहन सिंह, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या'34885 / प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05-9-2016 दिनांक 26.09.2016 तथा पत्र संख्या-15486 / प्रोबे0-5-दया0- / 502 दिनांक 15.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उपर्युक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरपाल सिंह पुत्र श्री बृजमोहन सिंह, निवासी ग्राम-सिकटिहा, थाना कोतवाली, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व से चल रही रंजिश को लेकर दिनांक 08.03.1980 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-336 / 1980 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, खीरी के आदेश दिनांक 07.05.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2016 तक 12 वर्ष 08 माह 15 दिन की अपरिहार एवं 16 वर्ष 06 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में अभियुक्त है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरपाल सिंह (बन्दी संख्या-41758) पुत्र श्री बृजमोहन सिंह, निवासी-जनपद-खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-546 / 2017 / 390 / (1) / 22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in